



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 714) पटना, बुधवार, 18 अगस्त 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
17 मार्च 2021

सं0 2/पी05-20-01/2020-2562/गृ0आ0—वित्त विभागीय संकल्प सं0-7566 दिनांक 14.07.2010, संकल्प सं0-3713 दिनांक 05.05.2016 एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष पदों से बिहार पुलिस सेवा में प्रोन्नत निम्नांकित सेवानिवृत्त/कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित तिथि से वेतन स्तर-11 में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Ø0	inkf/kdkjh dk uke	ojh; rk Øekd	r rh; lfuf'pr foUkh; mUu;u dh n; frffk
1	2	3	4
1	श्री राजवंश सिंह	110 / 14	दिनांक 26.09.2017 (सेवा संपुष्टि की तिथि से)
2	श्री बिरेन्द्र कुमार	242 / 14	दिनांक 04.08.2019
3	श्री विनोद कुमार राउत	246 / 14	दिनांक 04.08.2019
4	श्री अरुण कुमार सिंह	239 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
5	श्री देव नारायण महतो	242 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
6	श्री संजीव कुमार सिंह	247 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
7	श्री संजय कुमार-2	250 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
8	श्री सोना लाल सिंह, (सेवानिवृत्त)	254 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 28.09.2019 (सेवा संपुष्टि की तिथि से)
9	श्री विनोद कुमार	255 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.09.2019

Ø0	inkf/kdkjh dk uke	ojh;rk Øekd	r'rh; l'fuf'pr foUkh; mUu;u dh n; frfFk
1	2	3	4
10	श्री ललित नारायण पाण्डेय	266 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 20.08.2020
11	श्री त्रिपुरारी सिंह	269 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
12	श्री मुरारी प्रसाद	271 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
13	श्री गिरिजदेव तिवारी, (सेवानिवृत्त)	274 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
14	श्री दिनकर प्रसाद सिंह	276 / 19 (औपबंधिक)	दिनांक 04.08.2019
15	श्री अभय नारायण सिंह	पु0नि0 का वरीयता क्र0-पुराना 829, नया 07	दिनांक 04.08.2019

2. वित्त विभाग के पत्र सं0-3637/वि0, दिनांक 10.04.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का चयन किया जायेगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा। वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

3. उपर्युक्त किसी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा वित्त विभाग के स्तर से प्रतिकूल/अन्यथा आदेश/परामर्श प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 714-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>